

# प्राविवरण पुस्तकाएवं प्रवेश निर्देशिका

डी०ए०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ

[www.davpglu.org](http://www.davpglu.org)

e-mail: [davpg1@gmail.com](mailto:davpg1@gmail.com)  
[davpg2@gmail.com](mailto:davpg2@gmail.com)

महाविद्यालय - परिचय

जुलाई 1918 में [REDACTED] गणेशगंज, लखनऊ में डी०ए०वी० कालेज की स्थापना सुप्रसिद्ध समाजसेवी परम् श्रद्धेय स्वर्गीय पं० रास बिहारी तिवारी जी द्वारा एक मिडिल स्कूल के रूप में हुई। 1920 में इसको हाईस्कूल बनाया गया। 1926 में यह विद्यालय वर्तमान भवन में स्थानान्तरित किया गया। 1942 में इण्टरमीडिएट की कक्षायें आरम्भ की गई। संस्थापक एवं प्रबन्धक श्रद्धेय स्वर्गीय रास बिहारी तिवारी जी के निधन के उपरान्त सुप्रसिद्ध अधिवक्ता एवं समाजसेवी परम् श्रद्धेय पं० भृगुदत्त तिवारी विद्यालय के प्रबन्धक हुए जिनके कार्यकाल में विद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। महाविद्यालय की स्थापना सन् 1948 में हुई थी, तत्पश्चात् स्नातक (कला एवं विज्ञान वर्ग) कक्षाएं प्रारम्भ हुई और 1972-73 सत्र में विद्यालय के उत्साही प्रबन्धक श्री मनमोहन तिवारी जी के प्रयास से विधि कक्षाएं प्रारम्भ की गई। सत्र 2003-2004 से स्नातकोत्तर कक्षाओं को स्थायी सम्बद्धता उ०प्र० शासन से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई।

महाविद्यालय के वर्तमान प्रबन्धक दयानन्द ऐंग्लोवैदिक कालेज, ऐशबाग रोड, लखनऊ के सुयोग्य मंत्री श्री मनमोहन तिवारी जी हैं। यह महाविद्यालय, पवित्र विचार एवं शुद्ध आचरण वाले ज्ञान मार्ग के एक निष्ठ अनुयायियों के लिए मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र है। विद्यार्थियों में कर्तव्य-बोध, सत्य-बोध तथा सोन्दर्य-बोध जागृत करना, उनमें देश-प्रेम, बन्धुत्व, उदारता, अनुशासनशीलता आदि सनातन आर्य गुणों का समावेश करना ही इस संस्था का आदर्श है। विद्या के इस मन्दिर में विद्यार्थी अपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर जीवन में उच्चतर और सुन्दर मान्यताओं की प्रतिष्ठा करते हुए, ज्ञान की साधना द्वारा राष्ट्रीय, सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण का समन्वय स्थापित करके कर्म-क्षेत्र के लिए सन्नद्ध होते हैं। वे स्वावलम्बन, कर्तव्य-परायणता और लोकोपयोगी नागरिकता की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस महाविद्यालय की स्वरूप एवं उज्ज्वल परम्परायें, छात्रों में कर्तव्य बोध, महाविद्यालय तथा अपने गुरुजनों के प्रति अतीव श्रद्धा और निष्ठा का पोषण करती हैं।

5. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता की समस्त मूल प्रतियां प्रवेश अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. यदि कोई प्रवेशार्थी भरण/अभ्यंश/आरक्षण की सुविधा चाहता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित एवं सत्यापित छायाप्रति आन लाइन फार्म के साथ जमा करना होगा।
7. शासन द्वारा निर्धारित तिथि के बाद प्रथम वर्ष में कोई भी प्रवेश नहीं किया जायेगा।
8. प्रवेश निर्देशिका/फार्म शुल्क आनलाइन रु. 700/-तथा ऑफलाइन 750/- है। इसका कोई अंश किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। फार्म शुल्क से प्राप्त आय का उपयोग प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी व्यय तथा छात्र कल्याणकारी कार्यों/सुविधाओं हेतु किया जायेगा।
9. बी.ए. तथा बी.एस.-सी. प्रथम समेस्टर में प्रवेश हेतु मेरिट का रत्तर 10+2 इण्टर के समकक्ष तथा सामान्य/पिछ़ड़ा वर्ग हेतु 40% एस.सी./एस.टी. हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 33% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंता कक्षा में उत्तीर्ण प्राप्तांक के वरीयता क्रम में प्रवेश किया जायेगा।
10. बी.ए., बी.एस.-सी., में छात्राओं को प्रवेश में प्राप्तांक का 5% आरक्षण भी देय होगा।
11. समस्त शुल्क प्रवेश के समय अधिग्रहण रूप से आनलाइन जमा कराना होगा। स्टेट बैंक कलेक्शन नम्बर में स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में शुल्क जमा किया जा सकता है।
12. वार्षिकोत्सव शुल्क 150 रु. देय है।
13. यूनीफार्म :- शिक्षा सत्र 2018-19 से सभी छात्र और छात्राओं के लिए निम्न लिखित यूनीफार्म होगी-
 

छात्र- गर्मी में सफेद शर्ट, डार्क काफी कलर की पैन्ट तथा सर्दियों में साथ में डार्क कलर स्वेटर/ब्लेजर पहनकर महाविद्यालय आयेंगे।

छात्राएं - गर्मी में डार्क काफी कलर कुर्ता, सफेद सलवार, तथा सर्दियों में साथ में डार्क कलर स्वेटर/ब्लेजर पहनकर महाविद्यालय आयेंगी।
14. द्वितीय से षष्ठ समेस्टर में प्रवेश, परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर अथवा तत्सम्बन्धी सूचित तिथि तक प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय के अन्दर कोई विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेता है तो महाविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
15. द्वितीय से षष्ठ समेस्टर में प्रवेश हेतु आनलाइन निर्धारित आवेदन करना होगा जिसकी फीस क्रमशः 250/- रुपये होगी।
16. जो विद्यार्थी फेल हो गये हैं वे अगले वर्ष नियमानुसार एकजेम्टेड अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठ सकते हैं।
17. प्रवेश संबंधी सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड/वेबसाइट ([www.davpglu.org](http://www.davpglu.org)) से प्राप्त करें। सभी छात्र/छात्राएं मेरिट निर्धारण के 7 दिन के अन्दर प्रवेश अवश्य ले लें।

### आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ध्यान दें :-

1. अपना, अपने माता-पिता/पति का नाम और पता स्वच्छ अक्षरों में भरें।
2. इंगित स्थान पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।
3. अपना नवीन फोटो चिपकायें तथा स्वप्रमाणित करें।
4. प्रवेश की सूचना महाविद्यालय के विभिन्न सूचना पटों पर अंकित कर दी जायेगी।
5. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश हेतु घोषित होने की तिथि के भीतर अपने मूल प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां तथा तीन फोटो के साथ प्रवेश अधिकारी से सम्पर्क करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें और निर्धारित समय के अन्दर

फीस जमा करके प्रवेश सुनिश्चित कर लें। समय से दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश का अधिकार रद्द हो जायेगा और श्रेष्ठता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी को उसका स्थान दे दिया जायेगा।

6. अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को शुल्क समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। अतः वे उसे अपनी छात्रवृत्ति के साथ प्राप्त करें। सामान्यतः शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। उन्हें भी सामान्य छात्रों की तरह प्रवेश के समय शुल्क जमा करना होगा।
  7. विशेष शासनादेश/परिस्थिति से यदि प्रवेश के समय शुल्क में छूट दी जाती है तो अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की शुल्क की स्वीकृत धनराशि परीक्षा के समय तक न प्राप्त होने पर उनको सामान्य छात्रों की तरह समस्त देय शुल्क जमा करने पर ही परीक्षा में बैठने दिया जायेगा।
  8. शुल्क पूरे बारह महीने के लिए देय होता है।
  9. किसी भी दशा में प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई और शुल्क वापस न होगा।
  10. काशनमनी की वापसी सत्रांत के एक वर्ष बाद होगी। विद्यालय छोड़ने के बाद अगले सत्र में सितम्बर या अक्टूबर मास में आवेदन करने पर प्रतिभूति राशि वापस की जा सकती है। यदि विद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर या अगले वर्ष की 30 जून (जो भी तिथि पहले पड़े) तक आवेदन न किया गया तो छात्र/छात्रा को प्रतिभूति राशि मांगने का अधिकार नहीं होगा। आवेदन करने के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर अधिकतम एक वर्ष वापसी हेतु कार्यवाही की जायेगी और साधारणतया एक वर्ष बाद ही क्रास चेक (A/C Payee) द्वारा वापस करने का नियम है, किसी प्रकार का देय रहने पर काशनमनी वापस नहीं की जायेगी। छात्र/छात्रा को आवेदन पत्र पर प्रवेश के समय ही परिचय पत्र संख्या एवं शुल्क की रसीद संख्या लिखना एवं शुल्क रसीद की फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है।
  11. शुल्क सूची में किसी भी समय अधिकारियों या कालेज-प्रशासन के निर्देशानुसार परिवर्तन हो सकता है।
  12. यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश पश्चात् भी उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई शुल्क वापस नहीं होगा।
  13. शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद और समय स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  14. जब तक विद्यालय के हर प्रकार के देय धन का भुगतान नहीं हो जाता विद्यार्थी को न तो प्रवेश परीक्षा पत्र मिलेगा और न ही उसको विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने का अधिकार होगा।
  15. नियमों के अनुसार हर कार्य दिवस पर कार्यालय में शुल्क इत्यादि जमा हो सकता है।
  16. शुल्क न जमा करने पर नियमानुसार छात्र/छात्रा को नियमित नहीं माना जायेगा। इस दशा में विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति पाने का अधिकारी नहीं होगा और परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हो सकता। इसका विपरीत प्रभाव उसको मिलने वाली सभी सुविधाओं पर भी पड़ेगा।
  17. यदि किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश किसी भी समय अनियमित पाया गया तो वह निरस्त कर दिया जायेगा तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
  18. जो विद्यार्थी महाविद्यालय की प्रकाशित पत्रिका सत्र के अन्त तक नहीं प्राप्त करता है बाद में उसको यह अधिकार प्राप्त न होगा।
  19. प्रथम/द्वितीय/ तृतीय वर्ष के एकजटेड छात्र/छात्रायें आफ लाइन आवेदन की स्थिति में अपनी पूर्व वर्ष की रसीद संलग्न करें और प्रवेश फार्म पर बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना विवरण अवश्य लिखें। बैंक ड्राफ्ट “प्राचार्य डी.ए.वी.पी. जी. कालेज लखनऊ” के नाम बनाया जायेगा, जो लखनऊ में देय होना चाहिए।
- नोट :-** कार्यालय के अन्दर बिना आज्ञा के प्रवेश न करें अन्यथा कार्यालय द्वारा सूचित करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। काउन्टर से अपना कार्य करायें।

### **भूगोल विभाग :**

1. डॉ. पी.आर. शुक्ल, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., बी.एड., पी-एच.डी
2. अंशकालिक १ पद
2. रिक्त २ पद

### **विज्ञान संकाय**

#### **भौतिक विज्ञान विभाग :**

1. डॉ. राजीव कुमार त्रिपाठी, एसो. प्रोफेसर, एम.एस-सी., पी-एच.डी.
2. डॉ. सुधीर कुमार शुक्ल, एसो. प्रोफेसर, एम.एस-सी., पी-एच.डी.
3. श्री नीरज शर्मा, असि. प्रोफेसर, एम.एस-सी., नेट(अवकाश)
4. रिक्त

#### **रसायन विज्ञान विभाग :**

1. डॉ. (श्रीमती) विनीता यादव, असि. प्रोफेसर, एम.एस-सी., पी-एच.डी.
2. डॉ. (श्रीमती) विनीता सिंह, असि. प्रोफेसर, एम.एस-सी., पी-एच.डी.
3. अंशकालिक ३ पद
4. रिक्त २ पद

#### **जन्तु विज्ञान विभाग :**

1. रिक्त पद दो

#### **वनस्पति विज्ञान विभाग :**

1. डॉ.(श्रीमती) जया सिंह, एसो. प्रोफेसर, एम.एस-सी., पी-एच.डी.
2. रिक्त

#### **गणित विभाग :**

1. श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्र, एसो. प्रोफेसर, एम.एस-सी.
2. डा. शुभा देवी, असि. प्रोफेसर, एम.फिल. एम.एस-सी., पी-एच.डी.
3. पद अंशकालिक

### **सांख्यिकी विभाग :**

1. अंशकालिक एक
2. एक पद रिक्त

### **विधि संकाय :**

1. श्री आनन्द प्रकाश तिवारी, असि. प्रोफेसर, एल-एल.एम., नेट
2. श्री राजेन्द्र कुमार, असि. प्रोफेसर, एल-एल.एम., नेट
3. श्री गणेश प्रसाद, असि. प्रोफेसर, एल-एल.एम., नेट
4. श्री रवीन्द्र कुमार, असि. प्रोफेसर, एल-एल.एम., नेट
5. अंशकालिक २ पद
6. रिक्त १ पद

### **शारीरिक शिक्षा विभाग :**

1. डॉ. महेन्द्र प्रताप गौड़, एसो. प्रोफेसर, बी.एस-सी., बी.पी.ई., एम.पी.ई.

### **एन०एस०एस०**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. डॉ० अजीत प्रियदर्शी        | - कार्यक्रमाधिकारी |
| 2. डॉ० दुर्गेश कुमार त्रिपाठी | - कार्यक्रमाधिकारी |

### **एन०सी०सी० :**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. ले. राजेन्द्र कुमार - | एन.सी.सी. अधिकारी |
| 2. श्री बी. एन. ओझा -    | वित्तीय सलाहकार   |

### **कार्यालय कर्मचारी :**

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. रिक्त                       | - कार्यालय अधीक्षक |
| 2. श्री विनय प्रकाश मिश्र      | - सहा. लेखाकार     |
| 3. स्टैनोटाइपिस्ट              | - रिक्त            |
| 4. श्री पद्म राज दुबे          | - नेत्रिक लिपिक    |
| 5. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह | - नेत्रिक लिपिक    |

# आचार्य मंडल

डॉ कौशल कुमार पाण्डेय, एम.ए., आचार्य (साहित्य), पी-एच.डी.

प्राचार्य

संकाय प्रभारी :

विज्ञान संकाय

कला संकाय

विधि संकाय

चीफ़ प्राक्टर

डॉ राजीव कुमार त्रिपाठी, एसो. प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग

डॉ अंजनी कुमार मिश्र, एसो. प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास

श्री आनन्द प्रकाश तिवारी, असि. प्रोफेसर, विधि विभाग

डॉ राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी, एसो. प्रोफेसर, हिन्दी

कला संकाय

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) संघ्या सिंह, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.
2. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., एल-एल.बी., डी.फिल.
3. डॉ. अजीत प्रियदर्शी, असि. प्रोफेसर, एम.ए., डी.फिल.
4. डॉ. शालीन तिवारी, असि. प्रोफेसर, एम.ए., जे.आर.एफ., डी.फिल.

(अवकाश पर)

राजनीति शास्त्र :

1. डॉ. रण विजय सिंह, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.
2. डॉ. श्रीमती सविता शाही, असि. प्रोफेसर, एम.ए., नेट

अर्थशास्त्र विभाग :

1. डॉ. मधु टण्डन, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.
2. रिक्त

संस्कृत विभाग :

1. डॉ. के. के. पाण्डेय, एसो. प्रोफेसर, एम.ए..

आचार्य (साहित्य), पी-एच.डी.

2. डॉ. सन्त्वना द्विवेदी, असि. प्रोफेसर, एम.ए., डी.फिल.

शिक्षा शास्त्र विभाग :

1. डॉ. दिलीप कुमार सिंह, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., एम.एड., पी-एच.डी.

आंगंल भाषा विभाग :

1. डॉ. दीपक कुमार सिंह, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., डी.फिल.

2. डॉ. कल्याणी दीक्षित, असि. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.

3. रिक्त

प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग :

1. डॉ. अंजनी कुमार मिश्र, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.
2. डॉ. मदन लाल, असि. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.
3. (अंशकालिक शिक्षक)
4. (अंशकालिक शिक्षक)
5. रिक्त

समाज शास्त्र विभाग :

1. डॉ. संजय तिवारी, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., एल-एल.बी., पी-एच.डी.

2. डॉ. श्रीमती निरुपमा सिंह, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.

3. डॉ. मणीन्द्र तिवारी, एसो. प्रोफेसर, एम.ए., पी-एच.डी.

इतिहास एवं एशियन पीपुल्स संस्कृति विभाग:

1. रिक्त

6. श्री बशीरुज्जमा	- नेत्रिक लिपिक	8. श्री रामदास	- कार्यों परिचर
7. श्री अरविन्द कुमार दीक्षित	- नेत्रिक लिपिक	9. श्री सुरेश सिंह यादव	- कार्यों परिचर
8. श्री राजकुमार कश्यप	- नेत्रिक लिपिक	10. श्री पवन कुमार सिंह	- कार्यों परिचर
9. श्री देवेन्द्र सिंह	- नेत्रिक लिपिक	11. श्री ऋषि कुमार सैनी	- कार्यों परिचर
10. श्री गजेन्द्र सिंह	- नेत्रिक लिपिक	12. श्री अनिल चौधेरी	- चौकीदार

### प्रयोगशाला सहायक

1. श्री सुवेश कुमार	- रसायन विभाग	14. श्री सौरभ श्रीवास्तव	- कार्यों परिचर
2. श्री रूपेश सिन्हा	- रसायन विभाग	15. रिक्त	- सफाईकार (नव रृजित)
3. श्री विनोद कुमार वर्मा	- भौतिक विभाग	16. रिक्त	- विजली मिस्ट्री
4. श्री पंकज शुक्ला	- वनस्पति विज्ञान विभाग	17. श्री गणेश प्रसाद	- कार्यों परिचर
5. रिक्त	- जन्म विज्ञान विभाग	18. श्री दयाशंकर यादव	- कार्यों परिचर
6. श्री अखिलेश कुमार	- भूगोल विभाग		

### पुस्तकालय :

1. रिक्त	- पुस्तकालयाध्यक्ष
2. रिक्त	- उप पुस्तकालयाध्यक्ष
3. श्री राज कुमार यादव	- कार्यों पुस्तकालय अध्यक्ष
4. श्री भूपेन्द्र कुमार	- विधि पुस्तकालय सहायक
5. रिक्त	- पुस्तकालय सहायक

### चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय:

1. रिक्त	- सफाई कार
2. श्री विनोद कुमार	- कार्यों परिचर
3. रिक्त	- कार्यों परिचर
4. मो. अमीर	- चौकीदार
5. रिक्त	- कार्यों परिचर
6. श्री राम अभिलाष	- माली
7. श्रीमती मालती सिंह	- कार्यों परिचर

### प्रयोगशाला परिचर :

1. रिक्त	- वनस्पति विज्ञान विभाग
2. रिक्त	- रसायन विज्ञान विभाग
3. श्री रवीन्द्र कुमार यादव	- वनस्पति विज्ञान विभाग
4. श्री प्रमोद कुमार	- भौतिक विज्ञान विभाग
5. श्री प्रेम सागर	- जन्म विज्ञान विभाग
6. श्री कमल सोनकर	- रसायन विज्ञान विभाग
7. श्री किशन	- जन्म विज्ञान विभाग
8. श्री शंकर लाल	- भौतिक विज्ञान विभाग
9. रिक्त	- भूगोल विभाग
10. रिक्त	- संस्थियकी विभाग

## प्रवेश एवं परीक्षा फार्म हेतु अति आवश्यक निर्देश

प्रवेश के समय छात्र/छात्रा को निम्न प्रपत्रों को लाना अनिवार्य है। इनमें से किसी भी प्रपत्र के अभाव में प्रवेश सम्भव न होगा तथा मेरिट के आधार पर अगले अभ्यार्थी को प्रवेश के लिए बुला लिया जायेगा और पहले बुलाये गये छात्र/छात्रा का कोई अधिकार नहीं रह जायेगा।

1. हाईस्कूल, इण्टर तथा स्नातक कक्षा के अंक-पत्र मूल रूप में तथा प्रमाणित छाया प्रति।
2. हाईस्कूल, इण्टर तथा स्नातक कक्षा के प्रमाण-पत्र मूल रूप में तथा प्रमाणित छाया प्रति।
3. टी.सी. (स्थानान्तरण) प्रमाण-पत्र मूल रूप में। जिन छात्र/छात्राओं ने इण्टर-व्यक्तिगत उत्तीर्ण किया है, वे केन्द्र प्रमाण पत्र मूल रूप में लायें।
4. चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में (संस्थागत छात्र/छात्रा प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत छात्र/छात्रा किसी राजपत्रित अधिकारी का) जो प्रस्तुतीकरण के छः माह के अन्दर की तिथि में बना हो।
5. जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप में तथा प्रमाणित छाया प्रति।
6. जिन छात्र/छात्राओं ने सन् 2018 के पूर्व इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण की है वे मूल रूप में शपथ-पत्र (Notary) इस आशय का प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने गैप इयर में कहीं भी प्रवेश नहीं लिया है।
7. आप लाइन प्रवेश शुल्क जमा की स्थिति में लखनऊ के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो “प्राचार्य डी.ए.वी.पी.जी. कालेज लखनऊ” के नाम लखनऊ में देय होगा, जमा करें। शुल्क की धनराशि महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी/प्राचार्य कार्यालय से मालूम करें अथवा सूचना पट से ज्ञात करें।
8. पासपोर्ट साइज के पांच फोटोग्राफ।
9. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का स्वयं आनलाइ भरे गये फार्म की दो प्रतियों सहित उपस्थिति होना अनिवार्य है। प्रवेश के बाद छात्रवृत्ति एवं परीक्षा फार्म आनलाइन भरकर कार्यालय में हार्ड कापी जमा करना होगा।
10. किसी प्रकार का भारण (वेटेज) लेने वाले प्रवेशार्थी मूल प्रमाण-पत्र तथा उनकी प्रमाणित प्रति जो महाविद्यालय के मापदण्ड के अनुसार हो, जमा करेंगे।
11. अन्य राज्यों से आने वाले प्रवेशार्थी अपने स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करेंगे।
12. अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र तथा अपना दूरभाष नं० व सचल दूरभाष नं० (मोबाइल) देना अनिवार्य है।
13. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराये जाने की स्थिति में यह आवश्यक है कि परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि अथवा प्रवेश की तिथि के 15 दिन जो भी पहले हो, तक परीक्षा फार्म न जमा करने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।

### रेलवे मासिक पास अथवा रियायती टिकट

रेलवे मासिक टिकट केवल उन्हीं नियमित छात्र/छात्राओं को मिलेगा जो 200 किमी० दूर किसी दूसरे नगर से प्रतिदिन आते हैं। एकजम्टेड, निरस्त या निलम्बित छात्र/छात्राओं को यह सुविधा प्राप्त न होगी।

1. (i) सभी एम.एस.टी. लखनऊ स्टेशन से बनाये जायेंगे।  
(ii) यात्रा के समय परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।  
(iii) मासिक पास (एम.एस.टी.) बनवाने के लिए छात्र/छात्राएं प्रार्थना पत्र पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, कक्षा, पता, जन्म तिथि, स्टेशन का नाम, पिछले पास का नवीनीकरण है अथवा नया पास बनवाना है, परिचय-पत्र संख्या, अपने हस्ताक्षर व पास बनवाने की तिथि अंकित कर महाविद्यालय में सक्षम अधिकारी/प्राक्टर को प्रस्तुत करें।

अनुरूप होगा। अध्ययन कक्षों में, परिसर में, कक्षा तथा कार्यालय के सम्मुख शोरगुल करना व कक्षा व बरामदों में साइकिल आदि लाना वर्जित है। महाविद्यालय परिसर को किसी प्रकार से गन्दा करना वर्जित है। अनुचित आचरण के दोषी छात्र/छात्रा को कठोर दण्ड दिया जायेगा।

कोई भी छात्र/छात्रा भूख हडताल करने पर, अवज्ञा या आन्दोलन करने-कराने पर प्रशासन एवं शिक्षण में बाधा उत्पन्न करने पर या ऐसा करने के लिए उकसाने हेतु या ऐसे व्यवहार का समर्थन करने पर भी तीन साल तक के लिए निष्कासित किया जा सकता है।

महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा विकृत करने पर क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त कठोर दण्ड दिया जायेगा। सामान्यतया एक कुलानुशासक-मण्डल, छात्र तथा छात्राओं के अनुशासन की दैनिक देखभाल करता है और उचित निर्णय लेने का अधिकारी है, किन्तु सभी प्रकार के ऐसे अन्तिम अधिकार प्राचार्य में निहित हैं।

**नोट:-** सहशिक्षा में अनुशासन की दृष्टि से सभी छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी कक्षाओं की समाप्ति के तुरन्त बाद महाविद्यालय परिसर छोड़ दें।

### अनुशासन हेतु आवश्यक टिप्पणी :-

प्रत्येक छात्र/छात्रा और अभिभावक के लिए यह आवश्यक है कि यह प्रविवरण पुस्तिका भली-भौति पढ़ लें। यदि वह उसमें दिए हुये नियमों का पालन करने को तत्पर है तो प्रवेश के लिए आवेदन करें। भविष्य में कभी भी नियम में छूट के लिए कोई भी छात्र/छात्रा महाविद्यालय के अधिकारियों को बाध्य नहीं करेगा/करेगी।

1. महाविद्यालय के अधिकारी, किसी भी समय आवश्यक समझने पर नियमों में परिवर्तन ला सकते हैं, जिनका अनुपालन प्रत्येक छात्र/छात्रा और उसके अभिभावक के लिए अनिवार्य होगा।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था और अनुशासन में प्राचार्य का निर्णय, अन्तिम और मान्य होगा।
3. उन सब बातों में, जो कि प्रविवरण-पुस्तिका में नहीं हैं या स्पष्ट नहीं है, प्राचार्य का निर्णय अन्तिम तथा मान्य होगा।
4. कार्यालय या पुस्तकालय अथवा किसी और स्थल पर किसी भी कार्य के लिए अथवा माँगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. छात्र/छात्रा को किसी प्रकार की, किसी कर्मचारी से असुविधा होने पर प्राचार्य से मिल करके उसका निवारण कराना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी से विवाद नहीं करना चाहिए। इसका अनुपालन न करने पर छात्र को निष्कासित किया जा सकता है।
6. छात्र/छात्रा का चरित्र प्रमाण-पत्र व रेलवे कन्सेशन कुलानुशासक (Proctor) को आवेदन पत्र देने के तीसरे दिन कार्यालय कक्ष में अपराह्न 3 से 4 बजे तक सामान्यतः मिल सकता है। आवेदन पत्र प्रमाणित करवाने हेतु भी छात्र को कार्यालय कक्ष में आवेदन पत्र जमा करने होंगे, प्रमाणित आवेदन पत्र उसी कक्ष द्वारा उसी दिन अपराह्न 3 से 4 बजे तक सामान्यतः वापस प्राप्त हो सकते हैं। परिचय-पत्र प्रवेश के 15 दिनों के बाद छात्र/छात्राएं सम्बन्धित काउन्टर से स्वयं प्राप्त कर लें।
7. किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय में लिपिक/कर्मचारी वर्ग द्वारा खिड़की से लें, कार्यालय के अन्दर आना वर्जित है, ऐसा न करने वाले छात्र को दण्डित करने का अधिकार, प्राक्टर/प्राचार्य को है।
8. निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की धनराशि का लेन-देन घोर अपराध है। M.S.T./ Railway concession शुल्क देय होगा।

# प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व (ग्रुप-बी, कल्वर) विषय की परास्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं नियम

## 1. आवेदन हेतु अर्हता :-

- आवेदन हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से  $10+2+3$  शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक के तीनों वर्षों में प्राचीन भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन किया है उनमें सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (General और OBC) के अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों का प्रतिशत 45 और अनु. जाति, अनु. जनजाति के अभ्यर्थियों का स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों को प्रतिशत 40 से कम नहीं होना चाहिए।
- स्नातक स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन न करने वाले अथवा प्रथम दो वर्षों में प्राचीन भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन करने वाले कला वर्ग के स्नातक, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका स्नातक स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 55 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश कुल स्थानों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- कुल स्थानों का 80 प्रतिशत लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातकों द्वारा भरा जाएगा। शेष स्थानों पर अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों को प्रवेश दिया जाएगा किन्तु उनकी मेरिट लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के प्रवेश प्राप्त अंतिम अभ्यर्थी की मेरिट से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों द्वारा स्थान भर लिया जाएगा।

## प्रवीण्यता-सूची (मेरिट लिस्ट) का निर्धारण :-

- प्रवीण्यता-सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर ही होंगे। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त भारण (Weightage) यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए दशमलव के तीन अंकों तक प्रवीण्यता ; डमतपजद्व का निर्धारण किया जाएगा। स्नातक परीक्षा के तीनों वर्षों के प्राप्तांक में तृतीय वर्ष में प्राचीन भारतीय इतिहास विषय के प्राप्तांक को जोड़कर प्राप्तांकों का प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का प्रतिशत स्नातक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा का भाग एक या भाग एक व द्वितीय दोनों उत्तीर्ण किया हो और तृतीय वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो, उनकी प्रवीण्यता का निर्धारण उक्त प्रकार से लखनऊ विवि० से उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही किया जाएगा।

- अन्य नियम :-
- कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने हेतु अर्ह नहीं होगा।
  - यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में ही परास्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है तो वह किसी अन्य परास्नातक पाठ्यक्रम से प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होगा।

## लक्ष्य एवं उद्देश्य (पाठ्य सहगामी कार्य-कलाप)

छात्र जीवन में महाविद्यालय के दैनिक अध्ययन क्रम के परिपूरक रूप से सांस्कृतिक शैक्षिक तथा क्रीड़ा इत्यादि विभिन्न पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का विशिष्ट महत्त्व है। अतएव इनको विशेष प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि इनके द्वारा छात्रों की अनेक प्रतिभायें पोषित हों, अभिरुचि परिष्कृत हो, बुद्धि का विकास एवं परिमार्जन हो तथा विचारशीलता एवं अभिव्यंजन शक्ति में वृद्धि हो। सामाजिक सहयोग, उत्तरदायित्व और बन्धुत्व की भावना जागृत हो।

इस दृष्टि से विभागीय तथा अन्य छात्र संस्थाओं के गठन की अनुमति दी जाती है। इनका कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य शुद्ध रूप से बौद्धिक, अकादमीय, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक होगा। ये राजनीतिक-आन्दोलन, आलोचना तथा प्रशासन में हस्तक्षेप से बचेंगे तथा अनुशासन एवं शालीनता की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे एवं महाविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे। सभी छात्र संस्थायें केवल प्राचार्य की अनुमति से ही बनेंगी और कार्य करेंगी। छात्र इनका गठन एवं संचालन विभागीय अध्यक्ष या प्राचार्य द्वारा नियुक्त अध्यापकों के निर्देशन और नियन्त्रण में करेंगे और वे ही (प्राध्यापक) इसके लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक कार्यक्रम, किसी अतिथि या वक्ता को निमंत्रण इत्यादि प्राचार्य द्वारा अनुमोदित होगा। समस्त लेखा जोखा रखने का उत्तरदायित्व नियुक्त अध्यापकों पर होगा इसका कोष बैंक में रखा जायेगा और प्राचार्य की अनुमति से नियुक्त प्राध्यापक उसका संचालन करेंगे। इसके नाम एवं संविधान प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होंगे। प्राचार्य कभी भी छात्र-कार्यक्रम का निषेध या संगठन को भंग करने का अधिकार रखते हैं।

महाविद्यालय में स्नातक- कला, विज्ञान तथा विधि संकाय की तथा परास्नातक प्रा.भा. इतिहास विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है।

शारीरिक एवं चारित्रिक गठन हेतु विद्यालय में क्रीड़ा का यथा सम्भव समुचित प्रबन्ध है। इस हेतु पं० रास बिहारी तिवारी स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। छात्र/छात्राओं को अधिक से अधिक सक्रिय भाग लेकर इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। खिलाड़ियों का आचरण, क्रीड़ास्थल पर तथा अन्य स्थानों पर उच्चकोटि का होना चाहिए।

महाविद्यालय में एन.सी.सी. सीनियर डिवीजन आर्मी विंग के प्रशिक्षण, तथा एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा सभी नियमित छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध है।

यू.जी.सी. के सहयोग से महाविद्यालय में कैरियर कौसिलिंग सेल का गठन किया गया है। इस सेल के अन्तर्गत वर्ष में अनेको मार्गदर्शक व्याख्यान भविष्य निर्माण हेतु आयोजित किए जाते हैं। छात्र-छात्राओं का इसका लाभ उठाना चाहिए।

महाविद्यालय में निःशुल्क विधि परामर्श केन्द्र है जहाँ पर विधि संबंधी सही परामर्श दिया जाता है।

आरक्षण एवं भारण : कुल निर्धारित सीटें - कला संकाय - 500 , विज्ञान संकाय - 350

आरक्षण/भारण श्रेणी	प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम अधिकारी	प्रतिशत	टिप्पणी
1. अनुसूचित जाति	जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार	21	कुलरथानों
2. अनुसूचित जनजाति	जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार	02	का लंबवत्
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार	27	आरक्षण
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पाँत्र/अविवाहित पोत्री	जिलाधिकारी	2	
5. विकलांग	जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार)	2	क्षेत्रिज आरक्षण
6. भूतपूर्व सैनिक	सचिव, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड	1	
7. उत्कृष्ट खिलाड़ी	अंतर-राज्यीय/राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का प्रमाण-पत्र	2.5	
8. एन.सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र	सम्बन्धित यूनिट/बटालियन के सक्षम अधिकारी	2.5	प्राप्तांक का भारण

### प्रवेश हेतु पात्रता

सत्र 2018-19 से बी0ए0, बी0एस0सी0 कक्षाओं में समेस्टर प्रणाली लागू की गई है।

- स्नातक कक्षा में प्रवेश शैक्षिक योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश फार्म आन लाइन/आफ लाइन निर्दिष्ट विवरण सहित भरना होगा तथा मेरिट प्रतिशत प्रकाशित होने पर आन लाइन फीस जमा कर मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रवेशाधिकारियों को प्रस्तुत करें।
- प्रवेश सम्बन्धी आरक्षण, अभ्यंश एवं भारण की सुविधा शासनादेशों के अनुरूप होगी। इससे सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अनुसूचित जाति के लिये 21%, अनुसूचित जनजाति के लिये 2% तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये 27% सीट आरक्षित हैं। आरक्षण सुविधा के लिये जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करना होगा।
- प्रवेश हेतु सभी अभ्यर्थियों को, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र या प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) तथा चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप से जमा करना होगा। इनके अभाव में प्रवेश नहीं मिलेगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को वापस नहीं दिया जायेगा।

2. रेलवे रियायती टिकट केवल दशहरा, दीपावली, श्रीतकालीन, होली, और ग्रीष्मकालीन अवकाश में उपलब्ध होगा। यह केवल नियमित छात्रों को आवेदन पर महाविद्यालय से घर और घर से महाविद्यालय जाने और आने के लिए मिलता है। घर का पता यही मान्य होगा, जो प्रवेश आवेदन-पत्र स्थायी पते के रूप में दिया होगा। अन्य स्थान के लिए अथवा महाविद्यालय के कार्य दिवस में आने जाने के लिए यह नहीं जारी किया जायेगा। आदेश पत्र प्राप्त करते समय, परिचय-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा यात्रा के अन्त तक साथ रखना आवश्यक होगा।

## छात्रवृत्ति हेतु अत्यावश्यक सूचना

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आय के आधार पर निर्धन नियमित छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति, शासन द्वारा निर्धारित नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राचार्य के पर्यवेक्षण में संबंधित विभागों को स्वीकृति हेतु अग्रसारित की जायेगी।

1. सभी पात्र छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश के 15 दिन के अन्दर कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
  2. छात्रवृत्ति हेतु सभी पात्र छात्र पी०एन०बी०, राजेन्द्र नगर, लखनऊ में अपना एक छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलेंगे।
  3. छात्रवृत्ति हेतु जिनका खाता पूर्व से पी०एन०बी० लखनऊ में खुला हो, उन्हें नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है।
  4. खाता खोलने हेतु सामान्य श्रेणी के छात्र डॉ० राजीव कुमार त्रिपाठी, एस०प्र०० भौतिक विज्ञान से तथा पिछड़ी जाति के छात्र डॉ० विनीता यादव, अस०० प्र००, रसायन शास्त्र विभाग से एवं अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के छात्र डॉ० मदन लाल, अस०० प्र०० प्रा. भा. इतिहास विभाग से अपना बैंक खाता फार्म अग्रसारित करायेंगे।
  5. छात्रवृत्ति खाता खोलने हेतु बैंक द्वारा मान्य परिचय पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र एवं 2 नवीनतम फोटो की आवश्यकता होगी।
  6. खाता खोलने के उपरान्त पात्र छात्र शासन द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट [www.scholarship.up.nic.in](http://www.scholarship.up.nic.in) पर अपलोड कर दो कापी प्रिन्ट आउट निकालें।
  7. निकाले गये प्रिन्ट आउट के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न कर कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर जमा करें।
- अ. सभी पूर्व की अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
- ब. आय व जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
- स. महाविद्यालय की शुल्क रसीद की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- द. महाविद्यालय परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- य. बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

**नोट :** आय, जाति, निवास, खाता संख्या, अनुक्रमांक, मोबाइल नं० आदि सभी प्रविष्टियाँ सही—सही अपलोड करें अन्यथा महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

**बी.ए./बी.एस—सी.** द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और विधि के द्वितीय से छठे समेस्टर के छात्र/छात्राएं हेतु कृपया ध्यान दें यदि प्रथम वर्ष या इस वर्ष के पूर्व में छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो वे छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। द्वितीय व तृतीय वर्ष या दूसरे से छठे समेस्टर के छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु प्रगति आख्या के रूप में प्रथम वर्ष की भाँति कार्यवाही करेंगे।

- विशेष :** (1) अनियमित, अनुशासनहीन व अनुचित आचरण करने पर छात्रवृत्ति सुविधा समाप्त कर दी जायेगी।
- (2) वर्तमान वर्ष में केवल एक ही पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने का नियम है अतः प्रवेशित छात्र सुनिश्चित हो लें कि उन्होंने इस महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कहीं भी प्रवेश नहीं लिया है।
- (3) छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना समय—समय पर नोटिस बोर्ड में चर्चा की जायेगी जिसके अनुसार छात्रों को कार्यवाही करनी होगी। अलग से व्यक्तिगत तौर पर सूचना देना सम्भव ही न होगा।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में निरन्तर उत्तीर्ण एवं प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति, के छात्र/छात्राओं को 'Progress Report' महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसका प्रारूप नोटिस बोर्ड से मिल सकेगा।

अथवा पूर्ण पहुंचाने पर पुस्तक का विकृत करने पर पुस्तक का मूल्य तथा साधारण पुस्तकों की दशा में 10 रु. दण्ड, पात्र पुस्तक अथवा किसी महत्वपूर्ण पुस्तक की दशा में पुस्तक का मूल्य देय होगा। पुस्तक के खोने पर उसका वर्तमान मूल्य देय होगा।

- (ब) पुस्तकालय दण्ड अथवा अन्य देय धन का भुगतान न करने तक छात्र पुस्तकालय से निष्कासित रहेगा।  
(स) पुस्तकालय काउण्टर छोड़ने से पूर्व पुस्तक को भलीभांति देखकर उसमें यदि कोई कमी है, तो पुस्तकालयाध्यक्ष को तुरन्त सूचित करें अन्यथा उस क्षति का दायित्व, अन्तिम बार पुस्तक लेने वाले पर होगा।
5. पुस्तकालय-पत्रक का खोना गम्भीर विषय है, तुरन्त इसकी सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए। दूसरा पत्र निर्धारित शुल्क देने पर खोने की सूचना के एक सप्ताह बाद ही मिलेगा, लेकिन पिछले कार्ड की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा पर ही होगी और वही उस पर ली गई पुस्तक के प्रति भी उत्तरदायी होगा। पुस्तकालय पत्र खोने पर उसकी द्वितीय प्रति हेतु 10 रु. दण्ड स्वरूप देना होगा।
6. पुस्तकालय में पढ़ने के लिए ली गई प्रत्येक पुस्तक या पत्रिका काउण्टर छोड़ने के पूर्व काउण्टर पर लौटाना अनिवार्य है अन्यथा कम से कम एक रूपया प्रतिदिन की दर से दण्ड देना होगा।

## सामान्य व्यवस्था

1. साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल अथवा कार लाने वाले छात्र/छात्रायें अपने वाहन कालेज में वाहन स्टैण्ड पर रखें अन्यथा महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. छात्र/छात्रा के लिए अनिवार्य है कि वह नियमित परिचय-पत्र सदैव अपने पास रखें। इसके बिना वह महाविद्यालय में प्रवेश न करें। किसी भी अधिकारी द्वारा मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. परिचय पत्र का खोना या दुरुपयोग गम्भीर विषय है इस अवस्था में छात्र/छात्रा को चाहिए कि परिचय पत्र की दूसरी प्रति 50 रु. महाविद्यालय कोष में जमाकर शीघ्र बनवा ले।
4. प्रथम वर्ष के छात्रों को चरित्र प्रमाण-पत्र प्रवेश तिथि के छ: माह पश्चात् मिलेगा।
5. कालेज छोड़ चुके हुये छात्र/छात्रों को कुलानुशासक से चरित्र विषयक टिप्पणी लिखवाने पर ही चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
6. किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश के पश्चात् परीक्षा एवं काशनमनी को छोड़कर अन्य शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
7. शुल्क रसीद की उपयोगिता अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर रहती हैं अतः इसे सुरक्षित रखें।
8. डिग्री प्रमाण-पत्र सामान्यता 1 वर्ष के अन्तराल में आता है इसे तुरन्त प्राप्त कर लें। अन्यथा निर्धारित रख-रखाव शुल्क लिया जायेगा।
9. छात्रों के प्रवेश फार्म एवं सम्बन्धित समस्त पत्रजात 5 वर्ष के उपरान्त रखरखाव की समस्या के कारण नष्ट/रद्द कर दिये जायेंगे।

## अनुशासन

छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि उनका आचरण अनुशासित, शुद्ध शिष्ट एवं मर्यादित होगा। वे महाविद्यालय के नियम एवं आदेशों की अवहेलना या अधिकारियों की अवज्ञा नहीं करेंगे। महाविद्यालय में या बाहर उनका व्यवहार उचित और उत्तरदायित्व पूर्ण होगा। महाविद्यालय सीमा में, सार्वजनिक स्थलों पर या आचार्यगणों के सम्मुख किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारिता, उदण्डता, धूम्रपान आदि अवांछनीय आचरण वर्जित है। उनका आचरण सदैव महाविद्यालय की मर्यादा के

**डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, लखनऊ**  
**महाविद्यालय में सह शिक्षा (Co-Education) है**  
**बी०ए० तथा बी०ए०स०सी**

स्नातक कक्षा प्रथम समेस्टर 2018-19 में प्रवेश हेतु सामान्य नियम-

1. सत्र 2018-19 से स्नातक कक्षाओं में समेस्टर प्रणाली का प्रारम्भ किया गया है।
2. प्रवेश फार्म आनलाइन / ऑफ लाइन उपलब्ध है जिसका मूल्य आनलाइन 700/- तथा ऑफलाइन 750/- निर्धारित है। इसका कोई अंश किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
3. स्नातक (बी०ए०स०सी०) प्रथम समेस्टर में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा महाविद्यालय की वेबसाइट ([www.davpglu.org](http://www.davpglu.org)) से रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अपना प्रवेश फार्म (रजिस्ट्रेशन के 24 से 72 घण्टे बाद) वेबसाइट से फार्म पूर्ण रूप से भरकर उसकी हार्ड कापी ~~अपने पास असुविधा का~~ लें और मैरिट में आने पर समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय में प्रस्तुत करें।
4. स्नातक (बी०ए० / बी०ए०स०सी०) प्रथम समेस्टर में प्रवेश हेतु आफलाइन फार्म महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त होगा इसे पूर्ण रूप से भरकर समस्त संलग्नकों की छायाप्रति सहित कार्यालय में जमा करें।
5. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश शैक्षिक योग्यता (मैरिट) के आधार पर किया जायेगा।
6. प्रवेश संबंधी आरक्षण अभ्यंश एवं भारण की सुविधा शासनादेशों के अनुरूप होगी। भारण / अभ्यंश / आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण-पत्र मूलरूप में एवं एक-एक छायाप्रतियां लाना अनिवार्य होगा।
7. प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०), प्रब्रजन प्रमाण-पत्र मूलरूप में एवं उनकी छाया प्रतियां लाना अनिवार्य है।
8. स्नातक (बी०ए० / बी०ए०स०सी०) में न्यूनतम 10+2 इण्टरमीडिएट के समक्ष सामान्य / पिछड़ा वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा एस०सी० / एस०टी० हेतु 33 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
9. स्नातक स्तर पर छात्राओं को प्राप्तांक का 5 प्रतिशत आरक्षण भी देय होगा।
10. मैरिट में चयनित अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने हेतु ऑन लाइन बैंकिंग जैसे- डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग तथा चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जमा किया जा सकता है।
11. प्रवेश हेतु मैरिट में आने पर समस्त प्रत्रजात फार्म की प्रति तथा पासपोर्ट साइज की तीन फोटो आदि लेकर स्वयं प्रस्तुत होना अनिवार्य है।
12. किसी प्रकार की असुविधा हेतु महाविद्यालय में आकर सम्पर्क करें।

## A

**स्नातकोत्तर (एम०ए०) प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व ग्रुप-बी०**  
**स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम**

प्रवेश हेतु दिशा निर्देश-

**निर्धारित सीट - 60**

एम०ए० प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व ग्रुप बी० ( ) प्रथम समेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का मूल्य रु० 750/- मात्र नकद देकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को आन लाइन प्रवेश फार्म कापी प्राप्त कर सकते हैं।

## विज्ञान संकाय- कुल सीट - 350

Group	Subject	Seats
PCM	Physics, Chemistry, Maths	224
PSM	Physics, Statistics, Maths	30
ZBC	Botany, Chemistry, Zoology	96

## कला संकाय- कुल सीट - 500

Group	Subject	Seats
Group A	Hindi	180
Group B	English	120
Group C	Sanskrit	120
Group D	Ancient Indian History/ Mathematics / Asian Culture	120 30
Group E	Statistics	30
Group F	Education	60
Group G	Economics	60
Group H	Geography/ Physical Education	180 60
Group I	Political Science	120
Group J	Sociology	180

नोट :

1. Hindi, Sanskrit, English में से केवल दो ही विषय लिए जा सकते हैं।
2. Ancient Indian History, Mathematics/ Asian Culture में से केवल एक ही विषय लिया जा सकता है।
3. Geography, Physical Education में से केवल एक ही विषय लिया जा सकता है।
4. Statistics, Geography, Physical Education प्रयोगात्मक विषय हैं। प्रयोगात्मक शुल्क प्रति विषय 240/- रुपया अतिरिक्त देय है।
5. Education विषय के तृतीय वर्ष में प्रयोगात्मक शुल्क ₹ 240 / - देय होगा।

## आवेदन हेतु शैक्षिक अर्हता-

- समान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर परीक्षा के तीनों वर्षों में प्राचीन भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन किया है और उनका स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 45 से कम नहीं है, प्रवेश के लिए अर्ह है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उक्त स्नातक परीक्षा में प्राचीन भारतीय इतिहास विषय का तीनों वर्षों में अध्ययन के बाद प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत है।
- अन्य वर्ग (विज्ञान व वाणिज्य वर्ग) के स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन नहीं किया है, किन्तु उनका स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 55 प्रतिशत है प्रवेश हेतु अर्ह हैं।

## समान्य निर्देश-

उम्मीदवारों को इस वेबसाइट से "सूचना विवरणिका" डाउनलोड करने और इसे ध्यान से पढ़ने के लिए अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है। आवेदन करने से पहले और सुनिश्चित करें कि वे आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान प्रादान किए गए सूचना और अन्य विवरणों को प्रस्तुत करने से पहले क्रॉस चेक होना चाहिए। आवेदन भरने के लिए केवल गूगल क्रोम ब्राउज़र ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कृपया जावास्क्रिप्ट सक्षम करें।

## ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के निर्देश-

- कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन शुल्क की रसीद का प्रमाण रखें।
- उम्मीदवार को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है।
- कृपया पंजीकरण फॉर्म का प्रिंट भी रखें।
- पंजीकरण फॉर्म में किए गए किसी भी संशोधन के बाद नए प्रिंटआउट लें।
- उम्मीदवार को केवल अपना या अपने माता-पिता के मोबाइल नम्बर का ही उल्लेख करना आवश्यक है।
- ईमेल आईडी और मोबाइल दर्ज करते समय कृपया अत्यंत सावधानी बरतें।
- सभी सूचना / संचार पंजीकृत ईमेल / मोबाइल नम्बर पर ही भेजे जायेंगे।

## GENERAL INSTRUCTION

Candidates are advised in their own interest to download the "Information Brochure" from this website and read it carefully before applying and ensure that they meet the required eligibility criteria. Information and other details provided while filling up the Online Application must be cross checked before submission. Delete the Cache Memory by pressing Ctrl and H key together (Ctrl+H). Its recommended to use Google Chrome browser only. Please enable JavaScript.

## INSTRUCTION FOR FILLING ONLINE REGISTRATION FORM-

- Please keep proof of remittance of fee for future reference.
- Candidates must follow the instruction strictly as given in the prospectus.
- Please also keep computer generated Confirmation page of registration Form.
- Please take new printouts after any modification done in the Registration Form.
- The Candidate is required to mention only his/her own or parent's mobile number.
- Please be extremely careful while entering email id and mobile number only.
- All information/ communication will be sent on registered Email/mobile number only.

- यदि किसी अभ्यर्थी ने परास्नातक परीक्षा का प्रथम भाग उत्तीर्ण कर लिया है तो तीन शैक्षिक सत्रों की समाप्ति के पश्चात् उसे भाग द्वितीय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- परास्नातक कक्षाओं के प्रवेश में शासन/ विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी भारण तथा आरक्षण श्रेणियों में से केवल एक ही भारण तथा एक ही श्रेणी का लाभ ले सकता है। भारण/ आरक्षण यथोचित प्रमाण-पत्र के अभाव में नहीं दिया जाएगा।
- उत्कृष्ट श्रेणी के खिलाड़ियों (छात्र/ छात्राओं) को खेल के आधार पर भारण का लाभ भारण-तालिका के नियमानुसार होगा।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र सभी शैक्षिक प्रामण-पत्रों की छया प्रतियां (अभिप्रामाणित) के साथ जमा करना होगा।
- प्रवेश हेतु प्रवीण्यता सूची (मेरिट लिस्ट) प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। प्रवेशार्थियों को स्वयं आकर विभाग से प्रवेश संबंधी सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी।
- चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश शुल्क अंतिम तिथि तक जमा न करने पर उसका स्थान प्रवीण्यता सूची में चयनित अगले अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। वरिष्ठ चयनित अभ्यर्थी का कोई दावा स्थान के लिए नहीं रहेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटिवश प्रवेश पाता है अथवा आवेदन पत्र में वास्तविक तथ्य छिपाता है अथवा गलत तत्व लिखा है तो उसका प्रवेश आरम्भ से ही अकृत और शून्य माना जाएगा। जिस समय ही वह तथ्य उदघाटित होंगे, उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उसके विरुद्ध नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
- प्रवेश हेतु चयनित होने पर प्रवेश के समय अभ्यर्थी को सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां तथा जिस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहां के संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण (माइग्रेशन) पत्र और भारण/ आरक्षण लेने की स्थिति में उसका प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। इनके अभाव में अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

यदि त्रुटिवश ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जमा कर लिया जाता है अथवा वह प्रवेश पा जाता है जो प्रवेश हेतु अर्हता नहीं रखता तो, अनियमितता उदघाटित होते ही प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को जो किसी विश्वविद्यालय/ संबद्ध महाविद्यालय से निलंबित/ निष्कासित किए गए हैं प्रवेश महाविद्यालय में उस अवधि तक नहीं होगा, जिस अवधि तक के लिए उनके निलंबित/ निष्कासित किए गए हैं, प्रवेश महाविद्यालय में उस अवधि तक नहीं होग, जिस अवधि तक के लिए उनके निलंबित/ निष्कासित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अत्यधिक दुर्व्यवहार के अपराधी पाए गए हैं या जिनाक आचरण या चरित्र विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान छात्र के रूप में सन्तोषजनक नहीं रहा है, उनका प्रवेश वर्जित हो सकता है।

अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रामाण पत्र देना अनिवार्य है।

1. छात्रवृत्ति का समस्त कार्य छात्र/छात्राओं द्वारा [www.scholarship.up.nic.in](http://www.scholarship.up.nic.in) पर अपलोड कर हार्डकापी महाविद्यालय में जमा करना होगा।
  2. निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन-पत्र रवीकार नहीं होगा।
  3. छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना समय समय पर नोटिस बार्ड से छात्र/छात्राओं को दी जाती है।
  4. समय से छात्रवृत्ति सम्बन्धित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करने वाले छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।

पठन व्यवस्था

इस महाविद्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कला, विज्ञान तथा विधि के विषयों में अध्यापन होता है। विधि, वी. ए., वी. एस.-सी., तथा एम. ए. की कक्षायें दिवस समय में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक होती हैं। सभी छात्र तथा छात्राओं को महाविद्यालय में निर्धारित यूनीफार्म पहनकर आना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिये अध्ययन के प्रत्येक वर्ष में शिक्षण और प्रयोगात्मक में अलग-अलग 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उसमें कमी होने पर, छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

पुस्तकालय

डी.ए.वी.पी.जी. महाविद्यालय के अध्यापक एवं नियमित छात्र/छात्राएँ, पुस्तकालय प्रयोग के अधिकारी होंगे। जिनके नाम, निलम्बित होंगे या शुल्क भुगतान न करने के कारण नाम कटे होंगे, इस अधिकार से वंचित होंगे।



ਇਤਿਹਾਸ